Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2026/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2026
(16 चैत्र, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2022 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16)	185—186
	केवल हिन्दी में।	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 अप्रैल, 2026

संख्या लैज. 17/2026.– दि हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ चेंज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम अप्रैल, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16

हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2022 हरियाणा राज्य में लोकोपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोकाधिकार तथा उपयोग के अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि के दावे का प्रतिषेध करने हेतु तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामले के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) यह उन लोकोपयोगिताओं के सम्बन्ध में लागू होगा, जो नियत दिन को बीस वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हों।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "कलक्टर" से अभिप्राय है, किसी राजस्व जिले का कलक्टर तथा इसमें उपायुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;

(ख) "आयुक्त" से अभिप्राय है, किसी राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;

(ग) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन वित्तायुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;

(घ) "लोकोपयोगिता" में शामिल हैं, सड़कें, मार्ग, नहरें, नालियां, तटबंध, कोई संरचना, जल/सिंचाई मार्ग, जन स्वास्थ्य संकर्म, लोक संस्थाएं, भवन तथा कोई अन्य सुविधा, जो चाहे राज्य सरकार द्वारा प्रभारों के भुगतान पर या अन्यथा से जनसाधारण द्वारा या जनसाधारण के लाभ के लिए उपयोग की जाती हैं या उपयोग की गई हैं, जो किसी वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि की किसी भूमि पर विद्यमान हो;

(ड.) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

लोकोपयोगिता में विघ्न डालने अथवा परिवर्तन का प्रतिषेध।

3. (1) किसी विधि, लिखत, प्रथा, रिवाज या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के न्यायनिर्णय, डिक्री अथवा आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि सहित कोई भी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि की किसी भूमि पर बनी किसी लोकोपयोगिता, जो जनसाधारण के लाभ के लिए सार्वजनिक उपयोग या अस्तित्व में हैं या थी, में जनहित या उपयोग के प्रतिकूल विघ्न डालने, परिवर्तन करने या को नष्ट करने के लिए हकदार नहीं होगा और न ही ऐसा कोई व्यक्ति, लोकाधिकार तथा लाभ के अपवर्जन हेतु ऐसी लोकोपयोगिता का दावा करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी लोकोपयोगिता में विघ्न डालता है, परिवर्तन करता है, को नष्ट करता है या में बाधा डालता है, तो कलक्टर या तो स्वप्ररेणा से या लोकोपयोगिता में ऐसी दखलअंदाजी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी लोकोपयोगिता को उसकी मूल अवस्था में जीर्णोद्धार करने के निदेश दे सकता है और ऐसे जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में उपगत लागत की वसूली भू–राजस्व के बकायों के रूप में ऐसे व्यक्ति से कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से नब्बे दिन के भीतर आयुक्त के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर वित्तायुक्त के सम्मुख पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है। वित्तायुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

लोकोपयोगिता में विघ्न डालने, परिवर्तन करने के लिए दण्ड।

4. जो कोई भी धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह छह मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माने, जो दो हजार रूपए से कम तथा दस हजार रूपए से अधिक नहीं होगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

क्षति या मुआवजे के लिए दावा नहीं।

5. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम में दिए गए प्रतिषेधों अथवा निर्बन्धनों के बदले में किसी भी क्षति या मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अधिकारों के अभिलेख तैयार करना।

6. कलक्टर, ऐसे अभिलेख के समुचित खाना में अधिकारों के अभिलेख में ऐसी लोकोपयोगिता का टिप्पण देते हुए ऐसी लोकोपयोगिता और लोकाधिकारों के अभिलेख दर्ज करवाएगा या तैयार करवाएगा।

अधिकारिता का वर्जन।

7. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

9. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

10. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12532—L.R.—H.G.P., Pkl.